इन्फ्रॉस्ट्रक्चर उप-समिति की बैठक का कार्यवृतांत

आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे विश्राम कक्ष में इन्फ्रॉस्ट्रक्चर उप-समिति की बैठक दोपहर 01:30 बजे आरम्भ की गयी ।बैठक में समिति के सदस्य श्री रत्नम श्रीवास्तव,सिविल जज सीनियर डिवीजन बागपत एवं श्री रजनीश कुमार ॥,सिविल जज जूनियर डिवीजन/त्वरित न्यायालय बागपत उपस्थित है।केन्द्रीय नाजिर द्वारा ए.सी. एवं फ्रिजों की सर्विस/मरम्मत से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत की गयी।

जनपद न्यायालय बागपत में न्यायालय कक्षों, विश्राम कक्षों एवं ट्रांजिट हॉस्टल में स्थापित ए.सी. एवं फ्रिजों की सर्विस/मरम्मत के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्रांक संख्या 530/इन्फ्रा सेल इलाहाबाद दिनाँकित 18.04.2026 में पारित आदेश में जनपद न्यायालय बागपत में स्थापित फ्रिज एवं ए.सी. की सर्विस/मरम्मत निविदा प्रक्रिया द्वारा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक के परिप्रेक्ष्य में माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 27.04.2026 के अनुपालन में इन्फ्रा उप-समिति द्वारा निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु विचार विमर्श किया गया।

जनपद न्यायालय बागपत में स्थापित ए.सी. एवं फ्रिजों का विवरण निम्नवत हैं-

जनपद न्यायालय परिसर में स्थापित ए.सी. एवं फ्रिजों का विवरण

क्र.सं.	स्थान	स्पिलिट ए.सी.	विंडो ए.सी.
1	न्यायलय जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष	42	0
2	मीटिंग हाल न्यायालय	02	01
3	कैंप कार्यालय	02	0
4	कम्प्यूटर सर्वर रुम	02	01
5	वी.सी रुम	03	0
6	वेटिंग हाल,जिला एवं सत्र न्यायाधीश	01	0
7	मीटिंग हाल, ट्रांजिट हॉस्टल	03	0
8	डायनिंग हाल, ट्रांजिट हास्टल	02	0
9	वी.आई.पी. सुईट संख्या 01,ट्रांजिट हास्टल	02	01
10	वी.आई.पी. सुईट संख्या 02,ट्रांजिट हास्टल	02	0
11	सामान्य 06 सुईट,ट्रांजिट हास्टल	0	12
	कुल	**61**	**15**

जनपद न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रिज का विवरण

क्र.सं.	स्थान	संख्या
1	किचन ट्रांजिट हास्टल	02
2	वी.आई.पी. सुईट संख्या 01	01
3	वी.आई.पी. सुईट संख्या 02	01
4	सामान्य 06 सुईट ट्रांजिट हास्टल	06
5	कैंप कार्यालय	02
6	किचन न्यायालय परिसर	02
	कुल	**14**

माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार इंफ्रा उप-समिति बागपत द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु जनपद न्यायालय बागपत में स्थापित ए.सी. एवं फ्रिजों की मरम्मत का कार्य निविदा प्रक्रिया द्वारा कराने का निर्णय लिया गया जिसके लिये ए.सी. एवं फ्रिजों का भौतिक निरीक्षण कराने के उपरान्त निविदा आमंत्रित किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है।निविदा हेतु इच्छुक फर्म/व्यक्ति दिनाँक 12.05.2026 से पूर्व जनपद न्यायालय बागपत में स्थापित ए.सी. एवं फ्रिजों का भौतिक निरीक्षण करते हुये निविदा न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निविदा हेतु नियम व शर्तें निम्नवत हैं-

1.माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायालय बागपत में ए.सी. एवं फ्रिज की मरम्मत/सर्विस हेतु निविदा वित्त पथ अंक 2011 के भण्डार क्रय नियम पैरा 11 व 12 में निहित प्राविधानों के अधीन दिनांक 12.05.2026 तक आमंत्रित की जाती है।निविदाएं सील्ड बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जायेंगी।

2.निविदा प्रस्तुत करने वाले फर्म/व्यक्ति को निविदा के साथ स्वयं का आधार कार्ड/पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

3.सभी प्राप्त निविदाएं दिनांक 12.05.2026 को इन्फ्रा समिति के समक्ष दोपहर 01.30 बजे जनपद न्यायालय बागपत के सभागार कक्ष में खोली जायेंगी।उक्त तिथि को निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/व्यक्ति आदि स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते हैं।

4.जनपद न्यायालय बागपत में फ्रिज एवं ए.सी. की सर्विस/मरम्मत के कार्य हेतु सभी नियम व शर्तों की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है।

5.धरोहर धनराशि प्रस्तुत निविदा की कुल धनराशि के सापेक्ष कुल 2 प्रतिशत,निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट के रुप में प्रस्तुत की जायेगी।

6.निविदा आवेदन फार्म केन्द्रीय नजारत अनुभाग,जनपद न्यायालय बागपत से धनराशि अंकन 100/- रुपये जमा कर प्राप्त किये जा सकते है।

7.निर्धारित फार्म के अतिरिक्त अन्य प्रारुप पर प्रेषित की गयी निविदायें स्वीकार्य नहीं होगी।

8.ए.सी. एवं फ्रिजों की मरम्मत/सर्विस का कार्यस्थल जनपद न्यायालय बागपत रहेगा।

9.ए.सी. एवं फ्रिजों की मरम्मत/सर्विस के कार्य की समस्त जिम्मेदारी निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/व्यक्ति की होगी।

10.ए.सी. एवं फ्रिजों की मरम्मत/सर्विस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय बागपत होगा।

11.फर्म द्वारा ए.सी. व फ्रिज का भौतिक निरीक्षण करने हेतु न्यायालय द्वारा कोई भुगतान नही किया जायेगा।

12.दिनांक 12.05.2026 को दोपहर 01.30 बजे के पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

13.सभी निविदायें स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अंतिम रुप से माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत को होगा।

उपरोक्त नीलामी की शर्ते माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

30/04/26 30/04/26 30.4.26

(रजनीश कुमार-II)
सदस्य, इन्फ्रा उपसमिति
सिविल जज जूनियर डिवीजन/
त्वरित न्यायलय,बागपत।

(रत्नम श्रीवास्तव)
सदस्य, इन्फ्रा उपसमिति
सिविल जज सीनियर डिवीजन
बागपत।

(सियाराम चौरसिया)
अध्यक्ष, इन्फ्रा उपसमिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या-03,बागपत।

Approved
01.05.26

District Judge
Baghpat

कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय बागपत।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026202-7 हेतु जनपद न्यायालय बागपत में स्थापित ए.सी. एवं फ्रिजों की सर्विस/मरम्मत के कार्य हेतु निविदाएं दिनांक 12.05.2026 को दोपहर 1.30 बजे से पूर्व जनपद न्यायालय बागपत के केन्द्रीय नजारत अनुभाग में प्राप्त की जायेगी। निविदा फार्म व शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक केन्द्रीय नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय बागपत से प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 12.05.2026 है।इसके पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाएं अस्वीकार कर दी जायेंगी। निविदाएं **"जनपद न्यायाधीश बागपत"** के नाम से पंजीकृत डाक के माध्यम से भी प्रेषित की जा सकती है।

सभी प्राप्त निविदाएं दिनांक 12.05.2026 को इन्फ्रा उप-समिति जनपद न्यायालय बागपत की उपस्थिति में दोपहर 1.30 बजे सभागार कक्ष में खोली जाएंगी। उक्त तिथि को निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/व्यक्ति सभागार कक्ष में उपस्थित रह सकते हैं।

उक्त से संबंधित सभी जानकारी जनपद न्यायालय की वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/baghpat एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in पर देखी जा सकती है।

दिनांकः-01.05.2026

01.5.26

(सियाराम चौरसिया)
अध्यक्ष,
इन्फ्रा उप-समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,
न्यायालय संख्या0-3, बागपत।

Chairman
Infrastructure Sub-Committee
District Court, Baghpat

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.जिला सूचना अधिकारी बागपत को जी-2007-2-उन्नीस/562-संख्या 0ओ0 (0सी0टी)1007दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निविदाएं हेतु विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।

2.कार्यालय जिलाधिकारी महोदय बागपत।

3.कार्यालय तहसील सदर बागपत,खेकड़ा तथा बड़ौत।

4.कार्यालय नगर पालिका परिषद बागपत एवं जिला अस्पताल बागपत एवं अन्य सूचना पट पर चस्पा हेतु।

5.नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला बागपत की वैधानिक वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

(सियाराम चौरसिया)
अध्यक्ष,
इन्फ्रा उप-समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,
न्यायालय संख्या0-3, बागपत।

Chairman
Infrastructure Sub-Committee
District Court, Baghpat